259

RE SUPPLY OF INFERIOR QUALI-TY RICE IN DELHI RATION SHOPS

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) Sir. I want to make a submission. Yesterday I put a ques tion to the hon Minister of Food regarding the supply of bad quality of rice in Delhi In his reply, the hon Minister said that he had received the complaints But nothing has been done so far Yesterday I check ed in most of the ration shops and I have found that the same quality of rice is being supplied throughout Delhi It is a very serious matter At least five million people are ad versely affected This quality of rice has been supplied for the last five or six months and not for the last two months Therefore I would request through you the hon Minister of Parliamentary Affairs to convey our feelings to the concerned Minister Otherwise there may be a serious trouble The people will fall sick There was already a meeting in this connection held by the Delhi Women They wanted to gherao the Minister concerned This kind of thing should not be allowed in the Capital I would therefore request through you Sir the Minister of Parliamentary Affairs to convey our feeling to the Minister concerned

THE MINISTER OF PARLIAMEN TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) I will convey this to the Minister concerned

12 43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(1) REPORTED CHEATING OF POLICY HOLDERS BY L I C

भी सुभाव बाहूबा (बेंतूल) माननीय प्रध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धनुमति से नियम 377 के धन्तर्गत 13 मार्च के नवभारत टाइम्स के एक समाचार की धोर धापका ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा नदन का ध्यान घाड़क्ट करता हूं। 13 मार्च के नवभारत टाइम्स में

"नागरिको के साथ जीवन बीमा निगम की धोखाधडी" नामक समाचार छपा है। में माननीय मन्नी जी को यह जानकारी देना चाहगा कि जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 के बाद अपनी नीतियों को बदल कर और छदम नीति भ्रपना कर हजारो लाखो बीमा कराने वाले लोगो के साथ भन्याय किया गया है भीर उनके साथ धाखाधडी की गई है 1974 तक जीवन बीमा निगम की यह योजना थी कि यदि कोई बीमा कराने वाला व्यक्ति लगातार अवर्षतक भ्रपना प्रीमियम जमा करने के बाद पैसा जमा नही पराता है, तो जितनी भी राणि उसने जमा की है. उस में से उसे एक भी पैसा वापस नही मिलेगा । सन् 1974 के ग्रचानक जीवन बीमा निगम न भपनी नीति मे परिवर्तन करके इस भवधिको 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया और इस शर्त के बदलने की किसी का भी सचना नहीं दी। इसका तात्पर्य यह हमा कि इस नीति के बनने के बाद जिस किसी ने साढे चार वर्ष या पौने पाच वर्ष तक पैमा जमा किया हो भीर उभने बाद वह पैसा जमा करने मे असमर्थ रहा हा, तो उसको उसके द्वाराजमा किया गया प्रीमियम वापस नही लौटाया जाएगा । इमका तात्पर्य यह हमा कि यदि किसी व्यक्ति ने 15 साल 20 हजार रुपये का बीमा करावा हो ग्रीर उसने तीन चार बच तह 7.500 या 8.000 रुपये जमा किये हो. तो नीति मे परिवर्तन होन के कारण जिसका उसको पता नही है. उसका वह पैसा इब जाएगा। इस तरह से जीवन बीमा निगम को लाखो रुपये का फायदा केवल दिल्ली में ही हुआ है और पूरे देश में तो करोडो वपयो का फायदा हो सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता ह कि क्या सरकार उन बीमा प्राहको को उनकी रकम वापस करेगी जिन्होंने 1974 से पहले बीमा कराया हो ग्रीर लगातार तीन वर्ष तक प्रीमियम भरते रहे है। मैं यह भी जानना चाहता ह कि क्या सरकार उन जीवन बीमा निगम के उच्च मधिकारियों के खिलाफ

कोई कार्रवाई करेगी क्रिकोंने प्रयमे बीमा एजेंटों को इस वर्त को बताने के रोक विवा जिसके कारण हवारों लोगों का नकसान हका । यह मर्त पूर्व सरकार के समय में बदली गई थी भीर हो सकता है कि सरकार से जीवन बीमा निगम के उच्च श्रीधकारियों के अपर दबाव डाला हो कि वे इस तरह के मादेशों को एजेंन्टों को न बतलाने को कहें. तो मैं यह जानना चाहता हं कि क्या हमारी सरकार ने भी जीवन बीमा निगम के प्रधिकारियों पर ऐसा दबाब तो नही डाला है घौर यदि हमारी नरकार ने ऐसे श्रादेश नही दिये है तो क्या सरकार उन उच्च ध्रधिकारियो के खिलाफ़ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपने एजेंटों को इस शर्त को न बताने के लिए कहा हो ।

तीसरे क्या यह सही नही है कि जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गयी है और गलत समाचार दिया गया है ? यदि हा, तो क्या सरकार बीमा डव नपमेट मधिकारियों के नेता के खिलाफ कार्यवाही करेगी सगर यह खबर गलत हो ?

(ii) REPORTED LEAKAGE OF ALVA COMMISSION REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur): With your permission, I am raising this matter of urgent public importance under rule 377: the statement of Shri Raj Narain hon, Health Minister in the Lok Sabha on 2nd March 1978 that the report of the Alva Commission has come as a "shocking revelation" on the treatment meted out to Shri Jayaprakash Narain during his detention in the PGI and the news item in the Indian Express, March 4, 1978 PGI doctors indicated' is causing grave doubts among the people of the country about the PGI, Chandigarh. The entire nation was looking forward to see the real contents of the report which the hon. Minister promised to place on the Table of the House. But the subsequent decision of the Minister not to disclose the so-called 'interim report' to spread dissatisfaction and suspicious amongst the people. Now a news report from the Tribune,

Chandigarh dated 12-3-1978 under the heading of 'Mystery of JP's Digoxin Toxicity ,not solved has disclosed really the shocking revelations which must be probed through a judicial enquiry to clear the doubts and suspicion. The demand for a judicial enquiry as put forth by PGI doctors has a general support from all walks of life and must be conceded to so that justice prevails and the public is made aware of the facts. Only in judicial enquiry the realities can be brought to book where everybody shall have the right to say and the right to defence. In view of the above, I would like to request the hon. Minister to make a categorical statement about the leakage of report to the Press before it is presented to the Parliament and I also strongly demand a judicial enquiry into the whole incident,

(iii) SITUATION IN ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

भी अन्त्रशेकर सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आजमगढ़ी और गैरआजमगढ़ी स्थिति से उत्पन्न अश्रात और उपद्रवग्रस्त वातावरण की और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हैं।

वहां के वाइस चांसलर ने विश्वविद्यालय को दो भागों में विभक्त कर दिया है--एक तो भाजमगढ़ी भीर दसरा गैरभाजम-गढ़ी । भाजमगढ़ी से उनका मतलब यह है कि चलीगढ़ से पूर्व के जो भी विद्यार्थी है वे धाजमगढ़ी है। इस सम्बन्ध में वहां के एक विद्यार्थी, श्री प्रमजदखां जो कि सुलेमान हाल में रहते हैं, ने जब बाईस चांसलर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बताया कि प्राजमगढ़ी मीस प्रलीगढ युनीवर्सिटी से पूर्व भीर विहार के बाउँर तक का क्षेत्र । इस स्थिति के चलते वहां के विद्यार्थियों के संगठन ने, प्रध्यापक संगठन ने. कर्मचारियों के संगठन ने वहां के बाइस चांसलर को बहां से हटाने की मांग की है। स्थिति इतनी बद्तर हो गई है कि इस भ्रष्टाचार,